

**समाहरणालय मधेपुरा**  
(जिला आपूर्ति शाखा)  
आदेश

विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-575/खाद्य, दिनांक- 28.01.2014 द्वारा माह फरवरी-2014 के लिए किरासन तेल का आवंटन प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक-1682/खाद्य, दिनांक-27.03.2008 एवं पत्रांक-1842/खाद्य दिनांक-08.03.2011 में दिए गए मार्ग दर्शन के आलोक के अनुरूप विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये किरासन तेल की मात्रा के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के बीच नियमानुकूल वितरण करना है। वर्तमान आवंटनादेश में ग्रामीण क्षेत्र में बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 परिवारों को 2.750 (दो लीटर सात सौ पचास मिलीलीटर) लीटर की दर से तथा शहरी क्षेत्र के परिवार को प्रति परिवार 2.250 (दो लीटर दो सौ पचीस मिलीलीटर) लीटर किरासन तेल कूपन के आधार पर किरासन तेल की आपूर्ति की जानी है। इसके अतिरिक्त एकरूपता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ठेला भेण्डर को प्रतिमाह-750 (सात सौ पचास) लीटर किरासन तेल की आपूर्ति किया जाना है।

अतः सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के पत्रांक-775/खाद्य, दिनांक-28.01.2014 के द्वारा माह-फरवरी, 2014 के लिए मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन को निम्नांकित विवरणों के अनुरूप प्रखण्डवार एवं अनुभाजन क्षेत्रवार /यौक विक्रेतावार उपावंटित किया जाता है :-

क्र०	प्रखण्ड अनुभाजन क्षेत्र का नाम।	2001 के आधार पर जनसंख्या।	माह नवम्बर 13 में प्रपत्र IX के आधार पर बी0पी एल0/ ए0पी0एल0 परिवारों की सं०	उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली० में) ज०वि०प्र० विक्रेता/ हॉकर।	सम्बद्ध यौक किरासन तेल विक्रेता का नाम।	विक्रेतावार उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली० में)
01	02	03	04	05	06	07
01	मधेपुरा प्रखण्ड	149589	47216	ज०वि०प्र० 129844.00 हॉकर (6x750) 4500.00 134344.000	1.मै०मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज 2.मै० चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज	108135.500 26208.500 कुल-134344.00
02	मैलाढ़ प्रखण्ड	73129	22305	ज०वि०प्र० 61338.750 हॉकर (6X750) 4500.000 65838.750	1.मै० चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज	कुल-65838.75
03	नगर परिषद मधेपुरा	45031	11338	ज०वि०प्र० 25510.500 हॉकर (25X750) 18750.00 सरकारी संस्थान- 4879.00 49139.500	1.मै० चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज	कुल- 49139.50
04	सिंहेश्वर प्रखण्ड	10208	32848	ज०वि०प्र० 90332.00 हॉकर (6X750) 4500.000 पुलिस अधीनक- 850.000 95682.00	मै० शिवशक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल-95682.00
05	गन्हरिया प्रखण्ड	65125	19369	ज०वि०प्र०- 53264.750	मै० शिवशक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल-53264.75
06	शंकरपुर प्रखण्ड	82519	28455	ज०वि०प्र० 78251.25	1.मै० शिवशक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर 2.मै० जयबजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड	55052.250 23199.00 कुल-78251.25
07	मुरलीगंज प्रखण्ड	14121	43338	ज०वि०प्र० 119179.500 सरकारी संस्थान 50.000 119229.500	1.मै०मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज 2.मै० श्यामा स्टोर बिहारीगंज	99426.750 19802.750 कुल-119229.50
08	मुरलीगंज नगर पंचायत	22936	6600	ज०वि०प्र०- 14850.00 हॉकर (20X750) 15000.000 29850.00	मै० मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज	कुल-29850.00
09	कुमारखण्ड प्रखण्ड	187643	52214	ज०वि०प्र०- 143588.500 हॉकर (1X750) 750.000 144338.500	1.मै० जयबजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड 2.मै०मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज	132799.500 11539.00 कुल-144338.50
10	उदाकिशुनगंज प्रखण्ड	136937	38120	ज०वि०प्र०- 104.830.00 हॉकर (16X750) 12000.000 116830.00	1.मै० चामुण्डेय ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल-116830.00
11	बिहारीगंज प्रखण्ड	101655	29136	ज०वि०प्र० 80124.00 हॉकर (29X750) 21750.000 101874.00	1. मै० श्यामा स्टोर बिहारीगंज	कुल- 101874.00
12	ब्यालपाड़ा प्रखण्ड	95295	25034	ज०वि०प्र०- 68843.500 हॉकर (4X750) - 3000.000 71843.500	1. मै० श्यामा स्टोर बिहारीगंज	कुल-71843.50



13	आलमनगर प्रखण्ड	129226	38461	ज०वि०प्र०- 105767.75 हॉकर (7X750) -5250.000 111017.750	1 मे० शंम्भू नाथ चौधरी आलमनगर	कुल-111017.75
14	चौसा प्रखण्ड	116471	32065	ज०वि०प्र०- 88178.750 हॉकर (2X750)- 1500.000 89678.750	1 मे० शंम्भू नाथ चौधरी आलमनगर	कुल-89678.75
15	पुरैनी प्रखण्ड	77792	20467	ज०वि०प्र० - 56284.250 हॉकर (2X750)- 1500.000 57784.250	1 मे० श्यामा स्टेर बिहारीगंज 2 मे० शंम्भू नाथ चौधरी आलमनगर	30481.00 27303.250 कुल-57784.25
कुल योग		1526646	446966	1318966.500		1318966.500

2. इस प्रकार इस जिले में वितरण हेतु उपलब्ध 112 टैंकर (112 X 12000)=1344000+ समायोजित 0 लीटर कुल 1344000 लीटर किरासन तेल को प्रखण्डवार/अनुभाजन क्षेत्रवार उपावंटन किया गया है।

3. विभागीय निर्देश के अनुपालन में ग्रामीण एवं सुदूर थानों में रोशनी के लिए उपावंटित किरासन तेल कुल-850 ली० एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-5514/सा०प्र०, दिनांक-11.11.2009 से प्राप्त अनुरोध के आलोक में आवंटित-8 ली० किरासन तेल को पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के आदेश से वितरण किया जाए। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से अनुरोध है कि वे संबंधित थौक किरासन तेल विक्रेता मे० चामुण्डे ऑयल उदाकिशुनगंज एवं मेसर्स शिवशक्ति एजेंसी, सिंहेश्वर को उचित मूल्य भुगतान कर किरासन तेल प्राप्त कर नियमानुकूल उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

4. जिला सुरक्षित में आवंटित 4929 लीटर किरासन तेल को निम्न विवरणी के अनुरूप संस्थानवार उपावंटित किया जाता है :-

- |  |  |
|--|--|
| 1 अधीक्षक ,मंडल कारा, मधेपुरा                        | 250 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज  |
| 2 सदर अस्पताल  | 100 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज  |
| 3 कोषागार +गार्ड, मधेपुरा                            | 40 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज   |
| 4 बी०एन० मंडल, वि०वि०मधेपुरा                         | 1000 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज |
| 5 व्यवहार न्यायालय ,मधेपुरा                          | 1000 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज |
| 6 समाहरणालय, मधेपुरा                                 |  |
| (जिला मुख्यालय स्थित संलग्न कार्यालय सहित)           | 1639 लीटर मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज |
| 7 पुलिस अधीक्षक                                      | 850 मे० चामुण्डे ऑयल एजेंसी ,उदाकिशुनगंज       |
| 8 आवा०अनु०जाति वि, भोकराहा (स्थानान्तरित ,मुरलीगंज ) | 50 लीटर मे० मोतीलाल रामरूप ,मुरलीगंज           |
| कुल योग- 4929 लीटर                                   |  |

उपर्युक्त कंडिका 04 में निर्धारित कोटे के अनुसार किरासन तेल का उठाव संबंधित संस्थान के प्रधान के द्वारा संबंधित थौक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान करने के उपरान्त किया जाएगा एवं सभी संस्थान के प्रधान वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समाहरणालय, मधेपुरा /अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा /अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास /कल्याण छात्रावास, मधेपुरा हेतु आवंटित किरासन तेल का मासिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र नगर परिषद, मधेपुरा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा मंडल कारा के उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा द्वारा सदर अस्पताल, मधेपुरा हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा द्वारा कोषागार+गार्ड हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बी०एन०मंडल

विश्वविद्यालय, मधेपुरा हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र कुल सचिव, बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा द्वारा व्यवहार न्यायालय,मधेपुरा हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभारी न्यायाधीश,

व्यवहार न्यायालय,मधेपुरा द्वारा सुदुरवर्ती थानों में रोशनी की व्यवस्था एवं आरक्षी बलों के लिए आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक,मधेपुरा द्वारा एवं आवासीय अनु०जाति, आवासीय विद्यालय,मुरलीगंज हेतु आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,मुरलीगंज द्वारा प्रत्येक माह समर्पित किया जाएगा।

5. सरकार के अपर सचिव ,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार पटना के पत्रांक-575/खाद्य, दिनांक-28.01.14 से प्राप्त निर्देश के ही अनुरूप हॉकरों के लिए आवंटित किरासन तेल का वितरण जिले में लगने वाले हाट/बाजारों में स्थानीय आपूर्ति निरीक्षक /पणन पदाधिकारी एवं निगरानी समिति की देख रेख में अनुमोदित सूची/संख्या के अनुसार अनुमोदित वितरण स्थल पर ही किया जाएगा एवं तत्संबंधी वितरण पंजी का विधिवत संधारण किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी के आदेश के बिना वितरण स्थल में फेरबदल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी अनियमितता की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। सभी संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र-IX अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित करारकर जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक विगत माह से संबंधित किरासन तेल वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अगले माह के



उपरोक्त हेतु प्रपत्र IX तैयार कर उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी /आपूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रपत्र "क" में तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

6. संगत विभागीय निदेश के अनुपालन में उपावृत्त किरासन तेल को नियमानुसार शत-प्रतिशत उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने के निमित्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।

7. सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक-1682/खाद्य,दिनांक-27.03.08 एवं पत्रांक-1841/खाद्य, दिनांक-08.03.2011 के अनुपालन में पंचायत स्तरीय निगरानी समिति /वार्ड स्तरीय निगरानी समिति की देख-रेख में कूपनधारी बी0पी0एल0/अन्तयोदय /ए0पी0ए0 परिवारों से संबंधित माह का किरासन तेल का कूपन प्राप्त कर सरकार द्वारा ग्रामीण /शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित मात्रा के अनुरूप किया जाएगा। कूपनधारियों के लिए आवृत्त किरासन तेल का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। थोक किरासन तेल विक्रेता से ज0वि0प्र0वि0 /किरासन तेल ठेला भंडर को आपूर्ति किए जानेवाले किरासन तेल एवं ज0वि0प्र0वि0 /ठेला भंडर द्वारा उपभोक्ताओं को किये जानेवाले वितरण कार्य का सतत निरीक्षण से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। विभागीय निदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।


8. दिनांक-11.10.2011 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी,मधेपुरा की अध्यक्षता में आहूत समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में मेसर्स घामुण्डे ऑयल एजेंसी उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि घैला प्रखंड नगर परिषद, मधेपुरा एवं मधेपुरा प्रखंड (आंशिक) के ज0वि0प्र0वि0 /ठेला भंडर को स्वयं द्वारा समर्पित सहमति पत्र में वर्णित स्थल पर संबंधित प्र0आ0पदा0की निगरानी एवं अंचल गार्ड की अभिरक्षा में किरासन तेल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. विभागीय निदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय को उपावृत्त किरासन तेल कुल सचिव बी0एन0मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के आदेशानुसार वितरण किया जाएगा। कुल सचिव संबंधित थोक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान सीधे किरासन तेल प्राप्त करेंगे।

10. संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे किरासन तेल का नियमानुसार उठाव एवं वितरण अपने सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में उठाव एवं वितरण से संबंधित वांछित प्रतिवेदन माह के अन्त में जिला आपूर्ति कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

  
जिलाधिकारी  
मधेपुरा।


ज्ञापांक ...6.6.../आ0,मधेपुरा,दिनांक 14 फरवरी, 2014

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक/सभी थोक किरासन तेल विक्रेता,मधेपुरा जिला संबंधित सभी संस्थानों को सूचनार्थ एवं अनुमंडलार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना /आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमंडल सहरसा /उप निदेशक, खाद्य एवं असाैनिक आपूर्ति, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

  
जिलाधिकारी  
मधेपुरा।

